न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–339/2023

द्वारिका यादव वगै0..........................वादीगण।

बनाम्

सूर्य कुमार मिश्र वगै0..............................प्रतिवादीगण।

आदेश

07.03.2025 वादी की पैरवी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 22.11.2024 को दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुए यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी द्वारिका यादव की मृत्यु दिनांक 19.09.2024 को हो चुकी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि मृत वादी द्वारिका यादव का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनके वारीसान भोला यादव, रमेश यादव, लोहा यादव, मु0 फुलादेवी को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में अभी तक कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी के तरफ से दाखिल दिनांक 22.11.2024 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मृत वादी द्वारिका यादव का नाम इस वाद से कलमजद करते हुए उनके कानूनी वारीसान भोला यादव, रमेश यादव, लोहा यादव, मु0 फुलादेवी का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करें।

दिनांक–04.04.2024 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)